

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

B/6292
क्रमांक -----/चार-12-14/10

//आदेश//

जबलपुर, दिनांक 27/12/2022

रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 1025/गोपनीय/2022 दिनांक 12.10.2022 के आलोक में श्री धरमिन्दर सिंह, तत्कालीन Member(Judicial) National Company Law Tribunal(NCLT), Delhi (वर्तमान में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर) की सेवाए प्रतिनियुक्ति विभाग से अपने पैतृक विभाग को वापिस प्राप्त होने के फलस्वरूप सुपर समय वेतनमान रूपये 70290-1540-76450/- में उनके वेतन का निर्धारण निम्न तालिका अनुसार स्वीकृत किया जाता है:-

सुपर समय वेतनमान रू0 70290-1540-76450/- में प्राप्त वेतन व दिनांक	देय दिनांक
1.	2.
<u>73370.00/-</u> 15.04.2021	दिनांक 01.04.2021
<u>74910.00/-</u> 15.04.2022	दिनांक 15.10.2022 (दिनांक 18.10.2021 पूर्वाह्न से दिनांक 14.10.2022 अपराह्न तक प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ।)
नोट:- आगामी वेतनवृद्धि दिनांक 15.04.2023 को देय होगी।	

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

US...
(यू0एस0 दुबे) 26/12/2022

ओ0एस0डी0-कम-पी0पी0एस0
जबलपुर, दिनांक 27/12/2022

B/6293
पृष्ठांकन क्रमांक/चार-12-14/10

1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. Registrar, National Company Law Tribunal(NCLT), Block-3, 6th Floor CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi- 110003, for information and necessary action.
3. श्री धरमिन्दर सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. सहायक सेवा पुस्तिका(राजपत्रित), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

US...
ओ0एस0डी0-कम-पी0पी0एस0
26/12/2022

डेमन